राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 2101/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
लालचन्द शर्मा संस्कृत विद्यालय के पास] ग्राम पोस्ट भानपुरकलां] वाया कूकस जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-7-17 के द्वारा जिला परिषद जयपुर में ग्राम सेवकों के विरूद्ध लिखित शिकायतों का वर्ष 2004 से सूचना के आवेदन की दिनांक तक किये गये निस्तारण, शिकायतों के संबंध में की गई जांच, पारित दण्डादेश तथा अपीलार्थी लालचन्द शर्मा के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण मय शिकायतकर्ता के नाम, पते आदि के संबंध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया उन्हें अभी तक पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 2-5-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि पूर्व में ही पत्र दिनांक 3-10-17 से बिन्दुवार सूचना का प्रेषण कर दिया गया है। यह भी निवेदन किया कि सूचना के आवेदन में की गई शिकायत में विशिष्टि का अभाव है फिर भी यथा सम्भव सूचना का प्रेषण किया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 2-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त